संख्या-80/2015/3115/92-1-2015-75एम/2000

प्रेषक,

डा0 प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2015

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान में उपलब्ध कार्यभार के अनुसार समर्पित प्रखण्डों (परियोजना कार्यान्वयन इकाई-पी0आई0यू0) का गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-02/ग्रा0अ0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0/पी0आई0यू0 -गठन/2015-16, दिनांक 09-4-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 1092/62-3-2001-75एम/2000, दिनांक 03-3-2001, शासनादेश संख्या-5899/62-3-2001-75एम/2000, दिनांक 29-9-2001, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2890(2)/62-3-2002-26आरईएस/2002, दिनांक 28-6-2002, शासनादेश संख्या-2658/62-3-2003-75एम/2000, दिनांक 30-6-2003, शासनादेश संख्या-2669/62-3-2005-75एम/2000, दिनांक 21-5-2005 एवं शासनादेश संख्या-2384/62-3-09-75एम/2009, दिनांक 14-7-2009 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आवंटित 30 जनपदों (वर्तमान में प्रदेश के 33 जनपदों एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कार्य हेतु जनपद-मिर्जापुर, इस प्रकार कुल 34 जनपदों) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के सम्पादन हेतु कुल 58 समर्पित प्रखण्ड/अतिरिक्त समर्पित प्रखण्ड (परियोजना कार्यान्वयन इकाई-पी0आई0यू0) का गठन किया गया था।

2- उल्लेखनीय है कि जनपद-फैजाबाद में गठित पी0आई0यू0-2 क्रियाशील नहीं हुई और शासनादेश संख्या-1494/92-2012-75एम/2000, दिनांक 20-7-2012 द्वारा जनपद-उन्नाव में स्थापित अतिरिक्त पी0आई0यू0-3 को जनपद-मिर्जापुर हस्तांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार विभाग में वास्तविक रूप से गठित एवं क्रियाशील पी0आई0यू0 की संख्या-57 ही रही। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में जनपद-सम्भल एवं शामली में नवीन "समर्पित प्रखण्ड" (परियोजना कार्यान्वयन इकाई-पी0आई0 यू0) स्थापित नहीं हुई थी।

3- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु गठित समर्पित प्रखण्डों के कार्यभार में कमी होने, पी0आई0यू0 में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता का उपयोग न होने एवं 'कन्टीजेन्सी' की मद में कमी के कारण कार्यों के सम्पादन में आ रही कठिनाई तथा भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये मात्र रू0 670 करोड़ (प्रशासनिक व्यय सहित) का परिव्यय निर्धारित किये जाने और प्रकरण में प्राप्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की सहमति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में गठित कुल 58 पी0आई0यू0 (वास्तविक रूप से क्रियाशील कुल 57 पी0आई0यू0) को कम करके उनकी संख्या 34 तक सीमित किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा प्रदान की जाती है :-

(1) नवसृजित जनपद सम्भल एवं शामली में नवीन "समर्पित प्रखण्ड" (परियोजना कार्यान्वयन इकाई-पी0आई0 यू0) स्थापित किया जाय।

(2) पी0एम0जी0एस0वाई0 के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आवंटित जनपदों में समय-समय पर स्थापित अतिरिक्त पी0आई0यू0 (जनपद-उन्नाव में स्थापित अतिरिक्त् पी0आई0यू0-3, जिसे शासनादेश दिनांक 20-7-2012 द्वारा जनपद-मिर्जापुर स्थानांतरित कर दिया गया है, को छोड़कर) को समाप्त करते हुये निम्नलिखित 34 जनपदों में (जनपद सम्भल एवं शामली को सम्मिलित करते हुये) केवल एक-एक पी0आई0यू0 को ही बनाये रखा जाय :-

क्रमांक	जनपद	क्रमांक	जनपद
1	अलीगढ़	18	ललितपुर
2	बदायूँ	19	महराजगंज
3	बागपत	20	महोबा
4	बलिया	21	मथुरा
5	बांदा	22	मेरठ
6	बाराबंकी	23	मिर्जापुर
7	बस्ती	24	मुरादाबाद
8	बुलन्दशहर	25	सम्भल
9	देवरिया	26	मुजफ्फरनगर
10	एटा	27	शामली
11	इटावा	28	पीलीभीत
12	फैजाबाद	29	रायबरेली
13	फर्रूखाबाद	30	रामपुर
14	गोण्डा	31	भदोही
15	जौनपुर	32	सिद्धार्थ नगर
16	कासगंज	33	सोनभद्र
17	कुशीनगर	34	उन्नाव

(3) किसी पी0आई0यू0 में रू0 40 करोड़ से अधिक का वार्षिक कार्यभार उपलब्ध होने की स्थिति में अवर/सहायक अभियंता/अन्य सर्पोटिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाकर एक ही पी0आई0यू0 के माध्यम से निर्माण कार्यो को सम्पादित कराया जाय।

(4) समाप्त होने वाले अतिरिक्त पी0आई0यू0 की परिसम्पत्तियॉ सम्बन्धित जनपद के मूल पी0आई0यू0 में समाहित हो जायेगी तथा उक्त अतिरिक्त पी0आई0यू0 के अवशेष कार्यों के सम्बन्धित जनपद की मूल पी0आई0यू0 द्वारा ही पूर्ण कराया जायेगा।

(5) पी0आई0यू0 के कार्य संचालन हेतु उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेशों में विहित शेष शर्तें/प्राविधान यथावत रहेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-80/2015/3115(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप महालेखाकार (निर्माण), कार्यालय महालेखाकार (आडिट प्रथम/लेखा एवं हकदारी-द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त् नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता/पी0एम0जी0एस0वाई0 सेल, मुख्यालय, लखनऊ
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-9/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।